न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 74/2019
प्रार्थीः– सोनाराम पुत्र आदाराम, जाति–भाट, निवासी– ग्राम पाबुपूरा भाट्रान, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः– 18.01.2021

उपस्थितिः– श्री शंकरसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा **पाबुपुरा भाट्रान** तहसील **जोधपुर** जिला **जोधपुर** में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में **दीनाराम** दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम **सोनाराम** है, साक्ष्य के तौर पर स्वंय/पिता का उनके द्वारा **पहचान–पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी, लेबर डायरी** पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम **सोनाराम** अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना–पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना–पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का नाम **दीनाराम** मौजा **पाबुपुरा भाट्रान** तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 1499/1** राजस्व रेकर्ड **सोनाराम** अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर